संख्या-8489/26-3-81-11(71)/81

प्रेषक,

राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 17 नवम्बर, 1981

विषय : हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनाओं हेतु स्वीकृत अतिरिक्त धन के उपयोग के संबंध में मार्ग-दर्शक रूप रखायें।

महोदय,

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-6343/26-3-1981-11(35)/81, दिनांक 14 अगस्त, 1981 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिजन कल्याण की विशेष समन्वित परियोजनायें के लिए चयनित विकास खण्डों को वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान शासन द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय की प्रगति नितांत असंतोषजनक पाई गई। शासन द्वारा उपरोक्त धन के उपयोग के संबंध में पर्याप्त मार्ग दर्शक रूप रेखायें जिलों को उपलब्ध करा दी गई हैं। उपरोक्त पत्र के द्वारा आपको वरीयता क्रम में योजनाओं की रूप रेखा से भी अवगत कराया गया था। आशा की जाती है कि निर्देशों के अनुरूप आपके जिले में पड़े अवशेष धन के व्यय के लिए योजनायें तैयार की जा रही होंगी और दिनांक 31 मार्च, 1982 तक सम्पूर्ण अवशेष धनराशि को व्यय करने की रणनीति तैयार की जा चुकी होगी।

2--उपरोक्त अवशेष धनराशि के उपयोग हेतु निम्नलिखित एक अतिरिक्त योजना कार्यान्वयन हेतु निर्दिष्ट की जा रही है :

अनुसूचित जाति के उद्यमियों को उत्पादन एवं विक्रय के लिये भवनों को निर्मित कराकर उपलब्ध कराने की योजना

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50 प्रतिशत परिवार कृषक मजदूर हैं और वर्ष 1981-82 में ऐसे 63 हजार परिवारों को औद्योगिक कार्यक्रम दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इन परिवारों को औद्योगिक कार्यक्रम दिये जाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उनके लिये उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था भी की जाये ताकि उन्हें अपेक्षित आय वृद्धि प्राप्त हो सके। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति के उपरोक्त विकास खण्डों में अनुसूचित जाति के उद्यमियों को उत्पादन एवं विक्रय केन्द्रों के लिये भवन निर्मित कराकर उपलब्ध करा दिए जायें। योजना की रूप रेखा निम्न प्रकार होगी :--

(1) लाभार्थियों का चयन--(अ) लाभार्थी अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें उद्यमशीलता हो।

(ब) लाभार्थी यथा सम्भव वे व्यक्ति होंगे जो उत्पादन करने की स्थिति में है किन्तु उत्पादित वस्तु के विपणन की व्यवस्था न होने के कारण गरीबी की रेखा के ऊपर नहीं जा सके हैं। योजना के अन्तर्गत भवनों को व्यवसायिक कार्यों के लिए भी आवंटित किया जा सकता है।

(स) योजना का विस्तृत प्रचार किया जायगा ताकि उपयुक्त लाभार्थियों का चयन किया जा सके। लाभार्थियों का चयन परियोजना के संबंध में गठित जिला समिति द्वारा किया जायगा।

(2) योजना का आकार--(अ) भवनों की लागत आवश्यकतानुसार होगी किन्तु यह लागत 10 हजार रुपये प्रति भवन से अधिक नहीं होगी।

(ब) भवनों को हायर-पर्चेज पद्धति के आधार पर लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जायगा। भवन की लागत का 50 प्रतिशत भाग अनुदान के रूप में दिया जायगा और शेष 50 प्रतिशत भाग को दस वर्षों में समान मासिक किस्तों में योजना शुरू होने के एक वर्ष बाद से वापिस कर लिया जायगा। ऋण पर लाभार्थी से कोई ब्याज नहीं लिया जायगा।

(स) भवन निर्माण यथासम्भव ग्राम सभा की भूमि पर कराया जायगा। यदि भूमि उपलब्ध न हो तो क्रय भी की जा सकती है। ऐसी दशा में भूमि के क्रय पर भवन की लागत का 20 प्रतिशत से अनधिक व्यय किया जा सकेगा।

(3) योजना का कार्यान्वियन और उसकी स्वीकृति-- (अ) योजना के कार्यान्वियन का दायित्व अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 का होगा। इस योजना के कार्यान्वियन में सहायक।/उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण भी सहयोग देगें।

(ब) योजना की स्वीकृति जिला समिति द्वारा की जायगी, जो इस धन के व्यय की स्वीकृति हेतु अधिकृत है।

(स) योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण पंजीकृत ठेकेदार अमानी के आधार पर अथवा अर्द्ध शासकीय ऐजेंसी के माध्यम से किया जा सकता है। गैर सरकारी संस्था के माध्यम से निर्माण कार्य कराने की स्थिति में उसका सत्यापन नियमानुसार करा लिया जायगा।

(4) स्थान का चयन--(अ) भवनों का निर्माण ऐसे स्थानों पर कराया जायगा जहां उद्यमियों को विपणन का पर्याप्त अवसर मिल सके। भवनों का निर्माण यथासम्भव ग्रामोत्थान केन्द्र के निकटस्थ क्षेत्र में कराया जाय। निर्माणकार्य ऐसे क्षेत्र में, जो सड़क के किनारे हैं और विकसित हैं, में भी कराया जा सकता है।

(ब) भवन जहां तक सम्भव हों समूह में ही बनवायें जायें।

(5) धन का रख-रखाव--(अ) भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम लि0 के कोषागार के पी0एल0ए0 में हस्तांतरित की जायगी।

(ब) भवनों के आवंटन के साथ ही जिला प्रबन्धक द्वारा ऋण की वसूली हेतु प्रत्येक लाभार्थी का लेजर खोलकर मासिक किस्तें निर्धारित कर दी जायेगी ताकि धन की वसूली का लेखा नियमित रूप से रक्खा जा सके।

(स) जिला प्रबन्धक द्वारा ऋण की वापसी होने पर बैंक में खाता खोलकर धनराशि की जमा कर लिया जायगा। यह धनराशि योजना के दूसरे चरण में अन्य लाभार्थियों के लिये दुकानों के निर्माण पर व्यय कर ली जाएगी।

3--मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त योजना नवम्बर, 81 तक अवश्य तैयार कर ली जावे और उसका कार्यान्वियन दिसम्बर, 81 में प्रारम्भ कर लिया जावे। यह प्रयास किया जाय कि अधिक से अधिक भवन 26 जनवरी, 1982 को लाभार्थियों को आवंटित कर दिये जावे। किन्तु प्रत्येक दशा में निर्माण कार्य फरवरी, 82 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाये।

भवदीय,
राम कृष्ण,
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 8489 (1)/26-3-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2--प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, बी-912 सेक्टर "सी" महानगर, लखनऊ।

3--मण्डलीय निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0प्र0।

4--उप निदेशक/सहायक निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0प्र0।

5--समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) उ0प्र0।

6--संबंधित जिलों खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
राम कृष्ण,
सचिव।